प्रेस नोट
दिनांक 27.05.2025

थाना छपिया व आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 05 किलो 832 ग्राम नाजायज गांजा बरामद–

कार्यवाहीः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में आबकारी व थाना छपिया पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 05 किलो 832 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्ता–सुमित्रा उर्फ सुभद्रा उर्फ जंगलाही पत्नी स्व0 बदरीप्रसाद नि0 बभनीखास थाना छपिया जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 26.05.2025 को थाना छपिया पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व तस्करी की रोकथाम हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना प्राप्त हुई कि बभनी रेलवे क्रॉसिंग तिराहे के पास एक गुमटी में एक महिला द्वारा अवैध रूप से गांजा बेचा जा रहा है। सूचना के आधार पर संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर महिला सुमित्रा उर्फ सुभद्रा उर्फ जंगलाही पत्नी स्व. बदीप्रसाद निवासी बभनीखास, थाना छपिया, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया। गुमटी की तलाशी लेने पर कुल 5832 ग्राम अवैध गांजा (43 पुड़िया एवं खुला गांजा) बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना छपिया पर अभियुक्ता के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता–

01. सुमित्रा उर्फ सुभद्रा उर्फ जंगलाही पत्नी स्व0 बदरीप्रसाद नि0 बभनीखास थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–178/2025, धारा 8/20 एनडीपीएस ऐक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 05 किलो 832 ग्राम नाजायज गांजा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. आबकारी निरीक्षक अमर सिंह मय टीम।
02. उ0नि0 धनश्याम वर्मा।
03. म0आ0 पूजा पाण्डेय।
04. हे0का0 महेन्द्र प्रसाद।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
साइबर जागरूकता अभियान
दिनांक 27.05.2025

ऑपरेशन "साइबर कवच'' के दृष्टिगत जनपदीय साइबर सेल की टीम द्वारा फकरूद्दीन अली अहमद राजकीय इण्टर कालेज के छात्र/छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव हेतु किया गया जागरूक–

गोण्डा। आज दिनांक 27.05.2025 को जनपदीय साइबर सेल की टीम द्वारा फकरूद्दीन अली अहमद राजकीय इण्टर कालेज के छात्र–छात्राओं साइबर अपराधों से बचाव हेतु जागरूक किया गया। जनपदीय साइबर सेल के साइबर एक्सपर्ट हरिओम टण्डन व आलोक सविता द्वारा बच्चों को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि इंटरनेट के उपयोग की सही जानकारी होने पर साइबर अपराध से बचा जा सकता है। ऑनलाइन खातों के लिए मजबूत पासवर्ड बनाए, इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर(एक्स), फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर दुरूपयोग कर सकता है। किसी भी प्रकार के एप्स डाउनलोड किये जाते समय प्राईवेसी सम्बन्धी आप्शन का भली–भांति अवलोकन करने के बाद ही सहमती/असहमती देते हुए प्रक्रिया पूर्ण करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें। डिजिटल अरेस्ट से बचाव हेतु बताया गया कि किसी भी अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दें, बीमा कम्पनी, नौकरी के नाम से कॉल किये जाने पर बिना सत्यापन किये कोई जानकारी न दे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें व अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दे। टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की जाती है, इससे बचने हेतु किसी अज्ञात बैंक खाता में पैसा जमा न करें। जनपदीय साइबर सेल टीम छात्र/छात्राओं को NCRP portal- https://cybercrime-gov-in की जानकारी दी तथा यह जानकारी अपने घर पर परिवारजनो व आसपास के लोगो को भी साझा करने हेतु बताया गया।

साइबर सुरक्षा टिप्स–
01. ऑनलाइन लेन–देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।

04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साईबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें।
11. साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए हेल्प लाइन नम्बर 1930 का प्रयोग करें।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 27.05.2025

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोप में 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–175/25, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों–01. संदीप पथरकट पुत्र धनश्याम शिल्पकार नि0 मो0 पड़ाव कस्बा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा, 02. करन केवट पुत्र स्व0 संगमलाल निशाद नि0 ग्राम मजहनपुरवा मौजा नवाबगंज खिर्द जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद ई0 रिक्शा की बैट्री बरामद किया किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 26.05.2025 को वादी सुड्डू उर्फ जगदम्बा गुप्ता पुत्र विशु गुप्ता नि0 मो0 पड़ाव कस्बा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी। जिसमें बताया गया कि उसकी ई0रिक्शा उसके घर के बाहर खड़ी थी, जिससे उसकी बैट्री संदीप पथरकट व करन केवट द्वारा चोरी कर लिया गया है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस टीम द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही में आज दिनांक 27.05.2025 को उपरोक्त दोनों अभियुत्तों को सोती पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद ई0 रिक्शा की बैट्री बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–
01. संदीप पथरकट पुत्र धनश्याम शिल्पकार नि0 मो0 पड़ाव कस्बा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा
02. करन केवट पुत्र स्व0 संगमलाल निशाद नि0 ग्राम मजहनपुरवा मौजा नवाबगंज खिर्द जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–175/25, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 02 अदद ई0 रिक्शा की बैट्री

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 उमेश सिंह।
02. हे0का0 विजय बहादुर यादव।
03. हे0का0 राजेन्द्र कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।